THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD:: NEW DELHI
(INDUSTRIAL RELATIONS SECTION)

June 22nd, 2018

Circular No: IR/ 12 /2018

Subject: Amendment in the Payment of Gratuity Act, 1972 – enhancement of ceiling of the payment of Gratuity to the Employees

The DPE vide its Office Memorandum No. W-02/0020/2018-DPE(WC)GL-XII/18 dated 11.04.2018 has conveyed that the Payment of Gratuity Act, 1972 has been amended vide Notification dated 29.03.2018 by Ministry of Labour & Employment. Accordingly, sub-section (3) of Section 4 of the Payment of Gratuity Act, 1972 has been amended to substitute the words "ten lakhs" with the words "such amount as may be notified by the Central Government from time to time".

2. In pursuance of the above amendment, the Ministry of Labour & Employment vide its Notifications dated 29.03.2018 has specified that the amount of Gratuity payable to an employee with effect from 29.03.2018, under the Act, shall not exceed twenty lakh rupees.

3. In view of above amendment to the Payment of Gratuity Act, 1972, the ceiling of gratuity payable under the Act to STC employees is revised to Rs. 20 lakhs with effect from 29.03.2018, i.e, the date from which the said amendment came into force.

4. This issues with the approval of the Competent Authority.

(T. Kerketta)
General Manager (Personnel)

Copy to:

- Exe. Secy. to CMD
- Exe. Secy. to Director(Personnel)
- Exe. Secy. to Director(Finance)
- Exe. Secy. to Director(Marketing)
- Exe. Secy. to CVO
- All CGMs/GMs } e-mail
- All Branch Managers } e-mail
- All Divisional Heads, CO } e-mail
- JGM(F) (A&E) – Hard Copy
- Notice Board – Hard Copy
- STC's Website

दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड : नई दिल्ली

(औद्योगिक संबंध अनुभाग)

22 जून, 2018

परिपत्र संख्या: आईआर / 12/2018

विषय: ग्रेच्यूटी भुगतान अधिनियम, 1972 में संशोधन - कर्मचारियों को ग्रेच्यूटी के भुगतान की सीमा में वृद्धि

डीपीई द्वारा उनके कार्यालय ज्ञापन सं. डब्ल्यू -02 / 0020/2018-डीपीई (डब्ल्यूसी) जीएल-XII/18 दिनांक 11.04.2018 के माध्यम से सूचित किया गया है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा उनकी दिनांक 29.03.2018 की अधिसूचना के माध्यम से ग्रेच्यूटी भुगतान अधिनियम, 1972 में संशोधन किया गया है। तदनुसार, ग्रेच्यूटी भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 4 की उपधारा (3) में "दस लाख" शब्दों के स्थान पर "केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राशि" शब्दों को रखते हुए संशोधन किया गया है।

2. उपर्युक्त संशोधन के अनुसरण में, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा उनकी दिनांक 29.03.2018 की अधिसूचना के अनुसार विनिर्दिष्ट किया गया है कि इस अधिनियम के तहत कर्मचारियों को देय ग्रेच्यूटी की राशि दिनांक 29.03.2018 से बीस लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

3. ग्रेच्यूटी भुगतान अधिनियम, 1972 के उपर्युक्त संशोधन के मद्देनजर, एसटीसी कर्मचारियों को अधिनियम के तहत देय ग्रेच्यूटी की सीमा को दिनांक 29.03.2018 से अर्थात उक्त संशोधन के प्रभावी होने की तिथि से 20 लाख रूपए किया गया है।

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

टी. केरकेट्टा

(टी. केरकेट्टा)
महाप्रबंधक (कार्मिक)

प्रतिलिपि:

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्यकारी सचिव
- निदेशक(कार्मिक) के कार्यकारी सचिव
- निदेशक(वित्त) के कार्यकारी सचिव
- निदेशक(विपणन) के कार्यकारी सचिव
- मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यकारी सचिव
- सभी मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक
- सभी शाखा प्रबंधक
- सभी प्रभागाध्यक्ष, मुख्यालय
- संयुक्त महाप्रबंधक(वित्त)(लेखा एवं स्थापना)- हार्ड कापी
- सूचना पट्ट – हार्ड कापी
- एसटीसी की वेबसाइट